R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

खण्ड II ◆ अंक 10
अप्रैल 2006

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

एविएन फ्लू से प्रभावित मुर्गी पालन उद्योग के लिए राहत उपाय

रिज़र्व बैंक ने एविएन फ्लू से प्रभावित मुर्गी पालन उद्योग को राहत प्रदान करने के लिए बैंकों को मागदर्शी सिद्धांत जारी किए। देश के कुछ भागों में एविएन इंफ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) फैलने के कारण मुर्गियों के मारे जाने तथा पोल्ट्री उत्पादों की मांग में भारी गिरावट के कारण हुई आय हानि को दृष्टिगत रखते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि उन्होंने जिन पोल्ट्री इकाईयों का वित्तपोषण किया है उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं देने पर विचार करें:

(i) कार्यशील पूंजी ऋणों से संबंधित मूलधन और उस पर देय ब्याज तथा सावधि ऋणों की किस्तें और ब्याज जो बर्ड-फ्लू शुरू होने की तारीख को अर्थात् 1 फरवरी 2006 या उसके बाद देय हो गये हैं और अदत्त बने हुए हैं उन्हें सावधि ऋणों में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार परिवर्तित किये गए ऋण एक वर्ष तक की प्रारंभिक आस्थगन अवधि के साथ तीन वर्ष तक की अवधि के दौरान अनुमानित भावी आगमों के आधार पर किस्तों में वसूले जा सकते हैं।

(ii) सावधि ऋणों का शेष भाग इकाई की नकदी प्रवाह पैदा करने की क्षमता के आधार पर एक वर्ष की आस्थगन अवधि के साथ पुन:निर्धारित किया जा सकता है।

(iii) यह पुन:निर्धारण/परिवर्तन 30 जून 2006 को या उसके पहले पूरा किया जा सकता है।

(iv) ये पुन:निर्धारित/परिवर्तित ऋण वर्तमान देय माने जाएंगे।

(v) उधारकर्ता आवश्यकता आधारित नये वित्त के लिए पात्र होगा।

(vi) ये राहत उपाय पोल्ट्री उद्योग के उन सभी खातों को दिये जायें जो 31 मार्च 2006 को मानक खातों के रूप में वर्गीकृत किये गये थे।

रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा है कि राज्य/जिला सहकारी बैंक, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसी तर्ज पर परिपत्र जारी करेंगे।

बैंकों से ऋण लेने वाली सभी पोल्ट्री इकाईयों को सरकार ने 31 मार्च 2006 को बकाया मूलधन राशि (अतिदेय हो चुके मूलधन के किसी भी भाग को इसमें शामिल नहीं किया गया है) पर 4 प्रतिशत वार्षिक की एकबारगी ब्याज सहायता देने का प्रस्ताव रखा है। रिज़र्व बैंक इस सहायता की व्याप्ति और उसकी गणना करने का ढंग तथा संवितरण के संबंध में बैंकों को अलग से अनुदेश जारी करेगा।

साख-पत्र (एलसी) के अंतर्गत भुनाये गये बिल - जोखिम भार /एक्सपोज़र संबंधी मानदंड

रिज़र्व बैंक ने साख-पत्र (एलसी) के अंतर्गत खरीदे गये/भुनाये गये/बेचान किये गये बिलों के संबंध में ऋण एक्सपोज़र और जोखिम भार संबंधी मानदंडों की समीक्षा की और निर्णय लिया कि -

(i) साख-पत्र के अंतर्गत खरीदे गये/भुनाये गये/बेचान किये गये बिलों (जहाँ हिताधिकारी को ऋिज़र्व के अंतर्गतट भुगतान नहीं किया गया है) को साख-पत्र जारीकर्ता बैंक पर ऋणादि जोखिम (एक्सपोज़र) माना जाएगा न कि ऋणकर्ता पर।

(ii) ऊपर दर्शाए गए सभी बेजमानती सौदों पर उसी प्रकार जोखिम भार दिया जाएगा जैसा कि सामान्यत: पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों हेतु अंतर-बैंक ऋणादि जोखिम (एक्सपोज़र) पर दिया जाता है ; और

(iii) 'रिज़र्व के अंतर्गत' (अंडर रिज़र्व) बेचान के मामले में, ऋणकर्ता के संबंध में ऋणादि जोखिम माना जाएगा और तदनुसार जोखिम भार दिया जाएगा।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
एविएन फ्लू से प्रभावित मुर्गी पालन उद्योग के लिए राहत उपाय	1
साख-पत्र (एलसी) के अंतर्गत भुनाये गये बिल - जोखिम भार /एक्सपोज़र संबंधी मानदंड	1
ब्याज दरें	2
सहकारी बैंक	
शहरी सहकारी बैंकों के लिए मुद्रा तिजोरी सुविधा	2
राज्य सहकारी बैंकों/ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों के निवेश संविभाग में अनियमितताएं	2
शाखा बैंकिंग	
6.5 प्रतिशत बचत बांड, 2003 का समय-पूर्व नकदीकरण	2
प्रधानमंत्री ने भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास पुस्तक के तृतीय खण्ड का विमोचन और भारतीय रिज़र्व बैंक के उन्नत वित्तीय अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया	3
वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य - मुख्य-मुख्य बातें	4

ब्याज दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियां

28 मार्च 2006 को भारत में कारोबार की समाप्ति पर संविदा की गयी सभी परिपक्वता अवधिवाली विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) जमाराशियों [एफसीएनआर(बी)] पर ब्याज की अदायगी अलग-अलग करेंसी/तदनुरूपी परिपक्वता अवधि के लिए लिबोर/स्वैप दरों की उच्चतम सीमा के भीतर की जानी चाहिए। अस्थिर दर वाली जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान अलग-अलग करेंसी/परिपक्वता अवधि के लिए स्वैप दरों की उच्चतम सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। अस्थिर दर वाली जमाराशियों के लिए ब्याज की पुनःनिर्धारित अवधि छह महीने होगी।

अनिवासी (बाह्य) रुपया जमाराशियाँ

एक से तीन वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली नई प्रत्यावर्तनीय अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें तदनुरूपी परिपक्वता अवधि वाले अमरीकी डालर के लिए पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर लिबोर/स्वैप दरों के ऊपर 100 आधार अंक (17 नवम्बर 2005 से लागू 75 आधार अंक के स्थान पर) से अधिक नहीं होनी चाहिए।यदि परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से आगे जाती है,ऐसी स्थिति में तथा वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत की गयी अनिवासी (बाह्य) रुपया जमाराशियां , दोनों पर ही संशोधित ब्याज दरें लागू होंगी।

विदेशी मुद्रा में दिये जाने वाले निर्यात ऋण

निर्यातों के लिए बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में दिए जाने वाले ऋणों पर उच्चतम ब्याज दर संशोधित करके वर्तमान लिबोर + 75 आधार बिंदु के स्थान पर लिबोर + 100 आधार बिंदु के रूप में तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। संशोधित ब्याज दरें उन मामलों में भी लागू होंगी जहाँ यूरो लिबोर/यूरीबोर को आधार (बेंचमार्क) के रूप में प्रयोग में लाया गया है। ब्याज दरों में किया गया संशोधन केवल नए अग्रिमों पर ही नहीं, बल्कि वर्तमान अग्रिमों की शेष अवधि के लिए भी लागू होगा।

सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंकों के लिए मुद्रा तिजोरी सुविधा

बहुराज्यीय सहकारी सोसायटियां अधिनियम, 2002 तथा राज्य अधिनियमों जहां संबंधित राज्य सरकारों ने रिज़र्व बैंक के साथ समझौता ज्ञापन करके विनियामक समन्वय का आश्वासन दे दिया है, के अंतर्गत पंजीकृत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक को मुद्रा तिजोरी सुविधा प्रदान की जाएगी।इस सुविधा के लिए पात्र बनने हेतु शहरी सहकारी बैंक के पास :

(क) न्यूनतम 200 करोड़ रुपये का नेटवर्थ होना चाहिए;

(ख) सीआरएआर 12% तथा उसका निवल एनपीए 10% से कम होना चाहिए;

(ग) पिछले तीन क्रमागत वर्षों के दौरान मुनाफा कमाया हो तथा संचित हानियां न हों ;

(घ) न्यूनतम 'ए' लेखापरीक्षा वर्गीकरण में हो ;

(ङ) सीआरआर तथा एसएलआर संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन किया हो ; और

(च) उसका निर्वाचित निदेशक मंडल हो जिसमें कम से कम दो पेशेवर सदस्य हों ।

राज्य सहकारी बैंकों/ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों के निवेश संविभाग में अनियमितताएं

राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के निवेश संविभाग में नाबार्ड द्वारा पायी गयी अनियमितताओं/विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निम्नलिखित कदम उठाने को कहा है :-

- निवेश संविभाग की छमाही समीक्षा तत्परतापूर्वक की जानी चाहिए। यदि कोई बैंक सरकारी प्रतिभूति, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बांड आदि में निवेश नहीं करता है तो उसे इस संबंध में संकल्प पारित करना चाहिए और संबंधित छमाही के अंत से एक महीने के भीतर नाबार्ड और रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को "कुछ नहीं" रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
- सभी राज्य सहकारी बैंकों को ब्रोकरों का अनुमोदित पैनल तैयार करना चाहिए जिसका प्रयोग ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा भी किया जा सकता है। किसी भी राज्य सहकारी बैंक/ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंक के अनुमोदित पैनल में शामिल नहीं किये गए ब्रोकर से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं करना चाहिए।
- राज्य सहकारी बैंकों/ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनियों/निगमों/शहरी सहकारी बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) आदि के पास निधियों को जमाराशियों के रूप में रखने की अनुमति नहीं है। यदि किसी बैंक ने इन अनुदेशों का उल्लंघन किया है तो रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और नाबार्ड के अनुमोदन से ऐसे अतिरिक्त निवेशों का पूर्ण भुगतान करने के लिए वास्तविक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और इस संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
- सभी राज्य सहकारी बैंकों/ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों को प्रत्येक तिमाही में प्रतिभूतियों का धारिता प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करना चाहिए।
- राज्य सहकारी बैंकों/ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों को गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बांडों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के बांडों/ईक्विटी में अपनी वास्तविक अतिरिक्त निधियां रखने की अनुमति है। ऐसे निवेशों का कुल योग सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बांडों में निवेश की 5 प्रतिशत की उप सीमा सहित पिछले वर्ष के 31 मार्च को बैंक की कुल जमाराशियां के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।पारस्परिक निधियों,गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बांडों, आदि में निवेश की अनुमति नहीं है। यदि किसी बैंक ने ऐसे निवेश किए हैं तो उसे रिज़र्व बैंक और नाबार्ड के अनुमोदन से वापस लेने के लिए वास्तविक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और इस संबंध में तिमाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी चाहिए।
- राज्य सहकारी बैंकों/ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग की समवर्ती लेखा-परीक्षा करनी चाहिए। खज़ाना लेन-देनों की मासिक लेखा परीक्षा, रिज़र्व बैंक/नाबार्ड को भेजी जानी चाहिए।

शाखा बैंकिंग

6.5 प्रतिशत बचत बांड, 2003 का समय-पूर्व नकदीकरण

6.5 प्रतिशत बचत बांड, 2003 जो 24 मार्च 2003 से जारी किये गये थे, वो जारी करने की तारीख से पाँच वर्ष की समाप्ति पर प्रतिदेय है। तथापि, योजना में जारी करने की तारीख से न्यूनतम 3 वर्ष की समय बंदी के बाद समयपूर्व नकदीकरण का प्रावधान है। उक्त बांड के मार्च 2006 में 3 वर्ष पूरे हो गये है और गैर-संचयी के लिए 1 जुलाई 2006 को और संचयी बांडों के संबंध में आनुमानिक तारीख 24 सितंबर 2006 के बाद से समय-पूर्व नकदीकरण के लिए पात्र हो गये है। इसके फलस्वरुप, निवेशक छठीं छमाही के बाद किसी भी समय बांडों का अभ्यर्पण कर सकते किन्तु मोचन भुगतान निम्नलिखित ब्याज भुगतान की नियत तारीख को किया जाना चाहिए। गैर-संचयी बांडों के लिए

समय-पूर्व नकदीकरण की तारीख तीन वर्ष की समाप्ति के बाद हर वर्ष 1 जुलाई और 1 जनवरी होगी और संचयी बांडों के लिए अनुमानिक सातवीं छमाही भुगतान की नियत तारीख (यह कोई भी तारीख हो सकती है, जरूरी नहीं कि 1जुलाई और 1जनवरी ही हो) होगी। देय ब्याज का पचास प्रतिशत तथा जो धारित अवधि के अंतिम छह महीनों के लिए देय राशि दोनों संचयी और गैर-संचयी बांडों के संबंध में वसूली योग्य है। प्रति हज़ार रुपये के निवेश पर देय राशि निम्नानुसार होगी:-

अदायगी की नियत तारीख	प्रति हज़ार रुपये के निवेश पर देय राशि	
	गैर-संचयी	संचयी
सातवी छमाही	रु.1016.25	रु.1231.25
आठवी छमाही	रु.1016.25	रु.1271.20
नौंवी छमाही	रु.1016.25	रु.1312.50

रिज़र्व बैंक ने इन बांडों के समयपूर्व नकदीकरण के लिए प्रावधानों को निम्नानुसार स्पष्ट किया है ।

(i) समयपूर्व नकदीकरण का अर्थ 6.5 प्रतिशत बचत बांड, 2003 जिनकी जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूरी हो गयी है और किसी एक आवेदन के माध्यम से निवेश की संपूर्ण राशि का नकदीकरण करना है। इससे निवेशक किसी एक आवेदन पर निवेश की संपूर्ण राशि आहरित कर सकता है। बांड लेज़र खाता (बीएलए) के मामले में, यदि किसी व्यक्ति के पास योजना में अलग-अलग संख्यावाले एक से अधिक निवेश है तो निवेशक द्वारा उल्लिखित निवेश संख्या की संपूर्ण समयपूर्व नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है। उस योजना के उसी बांड लेज़र खाता (बीएलए) में अन्य निवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ii) किसी एक आवेदन पर निवेश की राशि का आंशिक नकदीकरण की अनुमति नहीं है। तथापि, धारण के पास उसी बीएलए में एक से अधिक निवेश है तो वह एक अथवा अधिक निवेश/निवेशों जिनकी जारी करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूरी हो गयी है उसकी संपूर्ण राशि का समयपूर्व नकदीकरण के लिए एक अथवा अधिक निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छठी छमाही के बाद प्राप्त ऐसे सभी निवेदनों के लिए मोचन सातवीं छमाही ब्याज भुगतान की नियत तारीख को एक बार होगा। सातवीं छमाही के बाद प्राप्त निवेदनों के लिए मोचन आठवीं छमाही ब्याज भुगतान की नियत तारीख को होगा और इसी प्रकार अन्य।

(iii) जहाँ वरिष्ठ नागरिकों को निवेश के समय उत्तर दिनांकित ब्याज वारंट जारी किये गये हैं उन्हें समयपूर्व नकदीकरण के लिए आवेदन के साथ वारंट का अभ्यर्पण करना होगा।

(iv) समय-पूर्व नकदीकरण के लिए निवेदन प्रस्तुत करते समय ऐसा कोई निर्धारित फॉर्म/घोषणा नहीं है जिसे निवेशक को भरना है।

(v) संपूर्ण राशि को समयपूर्व आहरित करने हेतु निवेशक को निवेदन पत्र और फार्म 1ए में उन्मोचन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vi) ब्याज वारंट भेज देने के बाद भी निवेश के समयपूर्व नकदीकरण के लिए यदि निवेदन प्राप्त होते है तो वे स्वीकार किये जाएंगे बशर्ते निवेदन के साथ निवेशक को जारी अद्यतन छमाही का ब्याज वारंट भी प्राप्त हुआ हो। ऐसे मामलों में, जहाँ ब्याज वारंट पहले ही भेज दिये गये हैं किन्तु धारक को अभी तक प्राप्त नहीं हुए है अथवा धारक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है उनके समयपूर्व नकदीकरण के निवेदनों को इस शर्त पर स्वीकार किया जा सकता है कि देय ब्याज का पच्चीस प्रतिशत और जो धारित अवधि के अंतिम छह महीने के लिए देय है की वसूली मूलधन से की जाएगी। ऐसे ब्याज को केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में रखे गये ब्याज खाते में जमा किया जाना चाहिए।

(vii) जब समयपूर्व नकदीकरण के लिए निवेदन काफी समय पहले प्राप्त हो जाते हैं तब मोचन राशि के लिए अदायगी आदेश/इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण (ईएफटी)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) इलेक्ट्रोनिक समयशोधन सेवा (ईसीएस) के माध्यम से नियत तारीख अर्थात् 1 जुलाई/ 1 जनवरी/ अथवा सातवीं, आठवीं अथवा नौवीं छमाही ब्याज भुगतान की नियत तारीखों, जैसा भी मामला हो, को खाते में जमा की जानी चाहिए। जहाँ निवेदन समय से पहले प्राप्त नहीं हुए है वहाँ भुगतान करने के लिए जारीकर्ता कार्यालय पाँच स्पष्ट कार्य दिवस ले सकते हैं जैसा कि नागरिक मांग-पत्र में निर्दिष्ट है।

प्रधानमंत्री ने भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास पुस्तक के तृतीय खण्ड का विमोचन और भारतीय रिज़र्व बैंक के उन्नत वित्तीय अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया

भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास पुस्तक के तृतीय खण्ड का विमोचन किया जिसमें 1967 से 1981 के बीच की अवधि कवर की गई है। डा. मनमोहन सिंह ने रिज़र्व बैंक के उन्नत वित्तीय अध्ययन केंद्र का भी फलक अनावरण करके उद्घाटन किया। डा. मनमोहन सिंह, रिज़र्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर, रिज़र्व बैंक का दौरा करनेवाले तथा उसके केंद्रीय बोर्ड की विशेष बैठक को संबोधित करनेवाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं।

इस अवसर को स्मरणीय बनाने के लिए श्री पी.चिदम्बरम, केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुद्रा और वित्त के संबंध में वर्ष 2004-05 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिज़र्व बैंक के इतिहास के साथ समकालिक बनाने के लिए इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु "भारत में केंद्रीय बैंकिंग का क्रमिक विकास" रखी गई है।

माननीय प्रधानमंत्री मौजूदा और भूतपूर्व गवर्नरों के साथ ।
दायें से बायें : श्री व्यंकटरामन, डा. सी. रंगाराजन, डा. मनमोहन सिंह, श्री एम. नरसिंहम, डा. विमल जालान और डा. वाइ.वी. रेड्डी

इस समारोह में महाराष्ट्र के माननीय गवर्नर श्री एस.एम. कृष्णा और माननीय मुख्यमंत्री श्री विलासराव देशमुख उपस्थित थे। इस समारोह में छह गवर्नरों - मौजूदा और भूतपूर्व - ने भाग लिया। रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के सदस्यों, वरिष्ठ स्टाफ सदस्यों तथा इतिहास परियोजना से संबद्ध अन्य व्यक्तियों एवं बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय की परिवर्तन समिति के सदस्य इस समारोह के विशेष अमंत्रितियों में से थे।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या South - 19/2006-08 Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य - मुख्य-मुख्य बातें

डॉ. वाइ वेणुगोपाल रेड्डी, गवर्नर ने 18 अप्रैल 2006 को प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ हुई बैठक में वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति संबंधी वक्तव्य दिया। इस वक्तव्य की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

दृष्टिकोण

- देशी या बाह्य आघातों को छोड़कर यह मानते हुए कि सामान्य मानसून में कृषि में वृद्धि होगी, वर्ष 2006-07 के लिए 7.5 - 8.0 प्रतिशत की दर पर सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।
- नीतिगत प्रयास यह रहेगा कि वर्ष 2006-07 के दौरान मुद्रास्फीति 5.0-5.5 के भीतर रखी जाए।
- वर्ष 2006-07 के दौरान एम$_3$ में लगभग 15.0 की वृद्धि होने का अनुमान। लेकिन फिर भी सामान्य परिस्थितियों में 2006-07 के दौरान मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का स्तर कम रखने की नीति को प्राथमिकता दी जाएगी।
- वर्ष 2006-07 के दौरान जमाराशियों में लगभग 3,30,000 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है।
- समायोजित गैर-खाद्य ऋण में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है जोकि इस समय 30 प्रतिशत से ऊपर चल रही वृद्धि में सुविचारित कमी को दर्शाता है।
- मूल्य और वित्तीय स्थिरता के अनुरूप ऋण की विधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित चलनिधि रखी जायेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थिरीकरण योजना,चलनिधि समायोजन सुविधा और नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात सहित अपने पास मौजूद सभी नीतिगत लिखतों का यथास्थिति उपयोग करते हुए खुला बाजार परिचालनों के माध्यम से नक़दी प्रबंध की सक्रिय मांग पूरी करने की अपनी नीति जारी रखेगा।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रतिकूल और अप्रत्याशित गतिविधि को छोड़कर तथा मुद्रास्फीति की संभावना सहित अर्थव्यवस्था के वर्तमान आकलन को देखते हुए, इस समय मौद्रिक नीति का समग्र दृष्टिकोण निम्नानुसार होगा:
  - एक ऐसा मौद्रिक और ब्याज दर परिवेश सुनिश्चित करना जो मूल्य स्थिरता के अनुरूप वृद्धि को बनाये रखने में सहायक हो तथा जो मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को प्रभावित करने वाली उभरती परिस्थितियों वाले किसी संकेत पर समय रहते और त्वरित रूप से कार्य करने में तत्पर हो।
  - अर्थव्यवस्था में निर्यात और निवेश की मांग को पूरा करने के लिए ऋण की गुणवत्ता और वित्तीय बाजार की परिस्थितियों पर ध्यान केन्द्रित करना ताकि समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकॉनमिक), विशेषत: वित्तीय स्थिरता बनी रहे।
  - उभरती वैश्विक गतिविधियों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया.

मौद्रिक उपाय

- बैंक दर 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गयी।
- प्रत्यावर्तनीय पुनर्खरीद(रिपो) दर और पुनर्खरीद (रिपा) दर क्रमश: 5.5 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी गयी।
- नकदी आरक्षित निधि अनुपात(सीआरआर) 5.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।
- बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज दर की स्थिति यथावत् रखी गई।
- एक से तीन साल की परिपक्वता अवधिवाली अनिवासी(बाह्य) रुपया जमाराशियों पर ब्याज दर की सीमा तत्काल प्रभाव से उसी अवधि के लिए अमरीकी डॉलर के लिए लिबोर/स्वैप से 25 आधार अंक अधिक से बढ़ाकर 100 आधार अंक कर दी गई है।
- विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर की सीमा तत्काल प्रभाव से लिबोर के ऊपर 25 आधार अंक और बढ़ाकर अब लिबोर के ऊपर 75आधार अंक अधिक के स्थान पर लिबोर के ऊपर 100 आधार अंक कर दी गयी है।
- मानक अग्रिमों अर्थात् वैयक्तिक ऋण, पूंजी बाजार निवेशों के रूप में पात्र माने जाने वाले ऋण और अग्रिम, 20 लाख रुपये से अधिक के आवासीय गृह निर्माण ऋण और वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा ऋण के मामले में प्रावधानीकरण की अपेक्षा 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत कर दी गयी है।
- वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा में निवेश पर जोखिम भार 125 से बढ़ाकर 150 प्रतिशत किया गया।
- जोखिम (वेंचर) पूंजी निधियों में बैंक के कुल निवेश को पूंजी बाजार में निवेश के भाग के रूप में समझा गया तथा इसके लिए भी 150 प्रतिशत का उच्च जोखिम भार दिया गया।
- स्वैच्छिक आधार पर बाजार के घटकों की सहभागिता के साथ मांग/सूचना और मीयादी मुद्रा बाजार में लेनदेन के लिए एक स्क्रीन आधारित वार्तालाप भाव-चालित प्रणाली (स्क्रीन-बेस्ड नेगोशिएटेड कोट-ड्रिवन सिस्टम) शीघ्र ही प्रारंभ की जायेगी।
- सरकारी प्रतिभूति में शीघ्र ही 'कब जारी [व्हेन इश्यूड (डब्लूआइ)]' बाजार घोषित किया गया।
- प्राथमिक व्यापारियों(डीलरों) को गतिविधियों में विविधता लाने की अनुमति दी गई।
- केंद्र सरकार के लिए अब तक छमाही आधार पर अर्थोपाय अग्रिम की सीमा निर्धारित की जाती थी परंतु अब अर्थोपाय की अग्रिम सीमा तिमाही आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- प्राधिकृत व्यापारियों को एक मिलियन अमेरिकी डालर तक की निर्यात राशियों की वसूली के लिए निर्धारित अवधि में छह माह से भी ज्यादा विस्तार देने की अनुमति प्रदान की गई।
- प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा भारतीय निकायों के शाखा कार्यालयों के आरंभिक और बारंबार व्ययों के लिए पिछले दो लेखा वर्षों के दौरान उनकी वार्षिक औसत बिक्री/आय अथवा टर्नओवर के क्रमश: 10 और 5 प्रतिशत तक विप्रेषण करने की अनुमति प्रदान करना।
- शक्तिप्राप्त समितियों (ईसी) से अनुमति लेने के पश्चात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने कार्यालय खोलने/उनका स्थान बदलने की अनुमति दी गयी है।
- एक कार्यकारी दल गठित किया जाएगा जो संकटग्रस्त किसानों की सहायता के लिए उपाय,जिसमें उन्हें वित्तीय मामलों में सलाह देने की भी व्यवस्था हो, सुझाएगा और ऐसे किसानों के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गांरटी निगम (डीआइसीजीसी) अधिनियम के अंतर्गत एक विशिष्ट ऋण गांरटी योजना की शुरूआत।
- सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य स्तरीय बैंकर समिति(एसएलबीसी) के संयोजकों से कहा गया है कि वे पांडिचेरी द्वारा की गयी पहल की तर्ज पर अपने क्षेत्र में 'नो फ्रिल्स' खाते और सामान्य प्रयोजन के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराकर शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपने क्षेत्र में कम से कम एक जिले का निर्धारण करें।
- बैंक अपने विभिन्न सेवा प्रभार अपने कार्यालयों/शाखाओं के साथ-साथ अपनी वेबसाइट पर भी रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित फार्मेट में प्रदर्शित करें और उन्हें अपडेट करें।
- बैंक प्रभारों की तर्क संगतता सुनिश्चित करने और उन्हें निष्पक्ष व्यवहार संहिता में शामिल करने हेतु एक योजना बनाने के लिए कार्यकारी दल का गठन।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस लि.,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**